न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

दावा संख्याः— 38/2018 दिनांकः—14.08.2019

1. श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री गणपतराम उम्र 91 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नांगली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2. जयपाल पुत्र बोयताराम
3. नारायणी पत्नी बनवारी
4. दीपक चौधरी पुत्र बनवारी
5. भंवरी पत्नी स्व. बोयताराम
6. भानसिंह पुत्र रामेश्वरलाल
7. रामकुमार पुत्र नोपाराम
8. रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल
9. सुगनसिंह पुत्र रामेश्वरलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्रांम नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रपालसिंह

—:निर्णयः—

वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 144 रकबा 2.52 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 90 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 91 रकबा 6.25 है. कुल रकबा 9.32 हैकटेयर वाके ग्राम नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 की पैतृक कृषि भूमियां है। जिसमें 1/4 हिस्सा भूमि भाग का खाता पूर्व में वादी के पिता गणपत के नाम से बना हुआ था उक्त गणपत की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि भाग का खाता विरासतन वादी के नाम से बन गया जिसके नाम से वर्तमान में 1/4 हिस्सा भूमि भाग का खाता बना हुआ है।

वादी के पिता गणपत की मृत्यु के पश्चात् उसके खातेदारी की 1/4 हिस्सा भूमि भाग का खाता वादी के नाम से दर्ज हुआ वादी का घरेलू लाड का नाम धन्ना था जिस कारण उक्त खाता विरासतन वादी के नाम दर्ज हुआ। उस समय वादी आर्मी में सर्विस

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

करता था जिस कारण उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धन्ना दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम श्रीचन्द है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी का वास्तविक नाम श्रीचन्द है जो उसके समस्त दस्तावेज सर्विस से सम्बन्धित तथा राशन कार्ड, वोटरकार्ड व बैंक रिकॉर्ड तथा आधार कार्ड व अन्य कृषि भूमि की जमाबन्दी से स्पष्ट साबित है, जिस कारण वादी का नाम उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में धन्नाराम के स्थान श्रीचन्द उद्घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादी के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम श्रीचन्द होने के कारण खातेदारी में दर्ज धन्नाराम उसके वास्तविक नाम से मेल नहीं खाने से वादी को असीम हानि हो रही है।

अतः वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी में वादी का नाम धन्नाराम के स्थान पर श्रीचन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र पी.डब्लू 01 तथा एक अन्य गवाह वादी स्वयं का पुत्र सुरेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू 02 पेश किये तथा दस्तावेज प्रदर्श 01– प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–77, प्रदर्श 02ए– वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श 03ए– वादी की पेंशन डायरी, प्रदर्श 04ए– वोटर आई.डी., प्रदर्श 05ए– बैंक ऑफ बडौदा में खाते की पास बुक, प्रदर्श 06ए– परिवार का राशन कार्ड प्रर्दश 07ए– पेंशनर कार्ड आदि दस्तावेजात पेश कियें।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादी का क्लेम निम्न कारणो से पुष्ट होना नहीं पाया जाता है।

1. धारा 140 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जमाबंदी के इन्द्राज को सत्य होने की मान्यता प्राप्त है। जमाबंदी प्रदर्श 01 के अलावा वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा अन्य जमाबंदी पेश नही की है जिससे धन्ना व श्रीचंद एक ही व्यक्ति के नाम साबित होते हों।
2. वादी श्रीचंद के नाम से सेवारत रहा है एवं अब स्वयं को धन्ना भी क्लेम कर रहा है। सेवा में रहते हुए उसके द्वारा नाम संशोधन की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3. घोषणात्मक दावा के लिए किसी प्रकार की समय सीमा विधि द्वारा नियत नही की गई है, परंतु श्रीचंद एवं धन्ना का साम्यता बाबत सही तथ्यों का विवरण दावे की प्लीडिंग में दर्ज होना चाहिए था। उक्त जानकारी कब और कैसे हुई। धन्नाराम कब से दर्ज है एवं उक्त नाम दर्ज होने के समय से निरंतर जमाबंदी/राजस्व अभिलेख

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

न्यायालय की जानकारी में लाया जाना अपेक्षित था। रिकॉर्ड के अभाव में साबित नहीं है कि धन्ना का नाम विरासतन गलत इन्द्राज हो गया है।

4. वादी के कथनो को पुष्ट करने बाबत स्वयं के पुत्र सुरेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पेश करने से वादी का क्लेम साबित नही होता है। पूर्व विवेचनानुसार अभिलेख के साथ हम उम्र के रिश्तेदार/स्वतंत्र गवाहन प्रस्तुत किया जाना जरूरी था ताकि वादी के क्लेम की पुष्टि हो सके।
5. दावा वर्ष 2018 से दर्ज किया गया है एवं वादी की उम्र 91 वर्ष दर्ज है अतः वादी लंबी अवधि तक श्रीचंद के नाम से सेवारत रहने के आधार पर प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2074–77 के इन्द्राज व अन्य साक्ष्यों प्रदर्श 2 ता 7, मौखिक साक्ष्य द्वारा एक ही व्यक्ति के दो नाम प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः धन्ना एवं श्रीचंद को एक ही व्यक्ति नही माना जा सकता है। वाद वादी खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः आदेश है कि वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner